Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LII (52), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

अनुसूचित जनजाति महिलाओं के बहुआयामी विकास में शासकीय योजनाओं की भूमिका: धार जिले का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

बसंती अलावा*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीती विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, राणापुर, झाबुआ (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध 'अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विकास में शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की भूमिकारू धार जिले के विशेष संदर्भ में' विषय पर आधारित है। अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से बहुआयामी वंचनाओं का सामना करती रही हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति का आकलन करना तथा शासकीय योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करना है। अध्ययन हेतु धार जिले के दो जनजाति बाहुल्य विकासखंडों के 10 ग्रामों से 100 महिला हितग्राहियों का चयन किया गया। प्राथमिक तथ्यों का संकलन साक्षात्कार के माध्यम से किया गया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि लाड़ली बहना योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, मातृ वंदना योजना, स्वयं सहायता समूह एवं खाद्य सुरक्षा योजना जैसी योजनाओं का महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इनसे आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता, शिक्षा प्रोत्साहन तथा सामाजिक सहभागिता में वृद्धि हुई है। यद्यपि मजदूरी दर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं गैस रिफिल जैसी कुछ समस्याएँ विद्यमान हैं, फिर भी समग्र रूप से योजनाएँ महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध हुई हैं। उचित क्रियान्वयन एवं जागरूकता से उनका विकास और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।

शब्द कुंजी – अनुसूचित जनजाति, महिला सशक्तिकरण, शासकीय योजनाएँ, धार जिला।

प्रस्तावना – भारतीय समाज में जनजातीय समुदायों का विशेष स्थान रहा है। ये समुदाय प्रकृति के निकट रहकर जीवनयापन करते आए हैं और इनकी जीवनशैली सरल, सामुदायिक तथा परंपरागत मूल्यों पर आधारित होती है। सामान्यत: जनजाति ऐसे सामाजिक समूह को कहा जाता है जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है तथा जिसकी अपनी अलग सामाजिक संरचना, भाषा, संस्कृति, परंपराएँ और जीवन पद्धति होती है। भारतीय संविधान ने इन समुदायों को 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता प्रदान कर उनके संरक्षण एवं विकास हेतु विशेष प्रावधान किए हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जनजातीय समाज के उत्थान के लिए अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जिनका उद्देश्य उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है। यदि विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की स्थिति पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि वे दोहरे अभाव का सामना करती हैं एक ओर वे जनजातीय समुदाय से संबंधित होने के कारण सामाजिक–आर्थिक पिछड़ेपन से प्रभावित हैं, वहीं दूसरी ओर महिला होने के कारण लैंगिक असमानता की चुनौतियों का सामना भी करती हैं। अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, सीमित आर्थिक संसाधन, परंपरागत रूढ़ियाँ तथा जागरूकता का अभाव उनके समग्र विकास में बाधक रहे हैं।

इसी संदर्भ में शासकीय योजनाएँ एवं कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा विस्तार, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार योजनाएँ, स्वयं सहायता समूह, पोषण कार्यक्रम, मातृत्व लाभ योजनाएँ, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता एवं सामाजिक सहभागिता को भी बढ़ाना है। धार जिले के विशेष संदर्भ में यह अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह जिला जनजातीय बहुल क्षेत्र है। यहाँ की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियाँ, संसाधनों की उपलब्धता तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करना आवश्यक है, ताकि यह समझा जा सके कि शासकीय प्रयास किस सीमा तक प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। अत: प्रस्तुत शोध अध्ययन अनुसूचित जनजाति महिलाओं के बहुआयामी विकास में शासकीय योजनाओं की भूमिकारू धार जिले का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का आकलन करना।
2. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पक्षों की स्थिति ज्ञात करना।
3. इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
4. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विकास हेतु कार्यक्रम एवं योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत अध्ययन का समग्र मध्यप्रदेश राज्य का आदिवासी बाहुल्य धार जिला है, जो अनुसूचित जनजाति की अधिक जनसंख्या वाले प्रमुख जिलों में से एक है। इस जिले की सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक

परिस्थितियाँ जनजातीय समुदाय के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। क्षेत्र में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाएँ विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान हेतु लागू की जा रही हैं, जिनका प्रभाव जानना अध्ययन की दृष्टि से आवश्यक है।

अवलोकन की इकाई के रूप में उन अनुसूचित जनजाति महिला हितग्राहियों को शामिल किया गया है, जो महिला कल्याणकारी एवं विकासात्मक शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हुई हैं। इन हितग्राहियों के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि योजनाओं का वास्तविक लाभ किस सीमा तक महिलाओं तक पहुँचा है तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया है।

शोध प्रविधि के अंतर्गत तथ्यों का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की महिला हितग्राहियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई है। साक्षात्कार के दौरान महिलाओं की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा की स्थिति, आय के स्रोत, आजीविका के साधन, सामाजिक सहभागिता, शासकीय योजनाओं के प्रति उनकी जानकारी तथा योजनाओं से प्राप्त लाभ एवं अनुभवों को सम्मिलित किया गया है।

इसके अतिरिक्त समूह चर्चा, अवलोकन एवं क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति का भी उपयोग किया गया है, जिससे अध्ययन क्षेत्र की वास्तविक सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को निकट से समझा जा सके। प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है तथा लाभ प्राप्त करने में महिलाओं को किन-किन समस्याओं या बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, महिला सशक्तिकरण एवं जनजातीय विकास से संबंधित पुस्तकों, शोध पत्रों, शोध प्रबंधों, पत्रदपत्रिकाओं, सरकारी प्रतिवेदनों, वार्षिक रिपोर्टों, अधिसूचनाओं तथा संबंधित विभागों द्वारा प्रकाशित अभिलेखों का अध्ययन किया गया है। इन स्रोतों के माध्यम से अध्ययन विषय की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट किया गया है तथा प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण को सुदृढ़ आधार प्रदान किया गया है। इस प्रकार प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों के समन्वय द्वारा अध्ययन को अधिक वस्तुनिष्ठ, प्रामाणिक एवं तथ्यपरक बनाने का प्रयास किया गया है।

निदर्शन का आकार – अध्ययन हेतु उद्देश्य पूर्ण निदर्शन प्रविधि को अपनाते हुए धार जिले के 1 सर्वाधिक जनजाति बाहुल्य विकासखण्ड डही के 5 ग्रामों का चयन अध्ययन हेतु किया गया है। प्रत्येक गांव से अनुसूचित जनजाति की लाभान्वित 5 हितग्राही महिलाओं का चयन अध्ययन हेतु किया गया है। इस प्रकार गांव से कुल 5x5=25 हितग्राहियों का चयन अध्ययन हेतु किया गया है। अत: प्रतिदर्शन का आकार कुल 25 है।

पूर्व में किये गए अध्ययन की साहित्य की समीक्षा के अंतर्गत स्पष्ट हुआ कि भूमि की कमी, वन संसाधनों पर अधिकार का अभाव और आजीविका के पारंपरिक साधनों का कम होना जनजातीय परिवारों की आय को प्रभावित करता है। महिलाएँ खेती, वनोपज संग्रह, पशुपालन और घरेलू कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन उन्हें निर्णय लेने का अधिकार और संसाधनों पर नियंत्रण कम मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जनजातीय महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कई क्षेत्रों में लड़कियाँ स्कूल से जल्दी पढ़ाई छोड़ देती हैं। इसके पीछे गरीबी, स्कूल की दूरी, परिवहन की कमी और जागरूकता का अभाव मुख्य कारण हैं। सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, आश्रम विद्यालय और अन्य योजनाएँ चलाई जा रही हैं, लेकिन इनका पूरा लाभ हर जगह नहीं पहुँच पाता। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समस्याएँ गंभीर हैं। कुपोषण, एनीमिया, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जनजातीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। स्वास्थ्य केंद्रों की दूरी, डॉक्टरों की कमी और पारंपरिक मान्यताएँ महिलाओं को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं से दूर रखती हैं। सरकार ने कई स्वास्थ्य और पोषण योजनाएँ शुरू की हैं, परंतु उनका प्रभाव क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग है। आजीविका के क्षेत्र में मनरेगा, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म ऋण और स्वरोजगार योजनाएँ महिलाओं के लिए सहायक सिद्ध हुई हैं। इन योजनाओं से महिलाओं को कुछ आर्थिक स्वतंत्रता मिली है और वे परिवार की आय में योगदान दे पा रही हैं। फिर भी मजदूरी में देरी, प्रशिक्षण की कमी और बाजार तक सीमित पहुँच जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। अध्ययन यह भी बताते हैं कि केवल योजनाएँ बनाना पर्याप्त नहीं है। जब तक महिलाओं में जागरूकता नहीं बढ़ेगी और योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। समाज की पारंपरिक सोच और पितृसत्तात्मक व्यवस्था भी महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा बनती है। समग्र रूप से देखा जाए तो शासकीय योजनाएँ अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनकी सफलता सही क्रियान्वयन, जागरूकता और स्थानीय सहभागिता पर निर्भर करती है। इसलिए जनजातीय क्षेत्रों में इन योजनाओं की वास्तविक स्थिति और प्रभाव का अध्ययन करना आवश्यक है।

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास – अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना तथा समाज में उनकी भागीदारी को मजबूत करना है। विशेष रूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के लिए अनेक पहल की गई हैं।

आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आय बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की रियायती दर पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इससे महिलाएँ लघु व्यवसाय, कृषि आधारित कार्य, पशुपालन, हस्तशिल्प या अन्य स्वरोजगार गतिविधियाँ प्रारंभ कर सकती हैं। यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना राज्य स्तर पर संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष से कम आयु की पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रति माह 1500 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को नियमित आर्थिक सहयोग देकर उन्हें परिवार की आय में सहभागी बनाना तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करना है।

अनुसूचित जनजाति राहत योजना जरूरतमंद आदिवासी महिलाओं

और परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत दुल्हनों, दिव्यांगों, बुजुर्गों, अनाथों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आपदा या संकट की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाती है। उदाहरण के रूप में घर जलने की स्थिति में लगभग रू 15,000 तक की सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य कन्या जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना तथा बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत बालिका के नाम से लगभग रू1,43,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तथा शिक्षा के विभिन्न चरणोंकृकक्षा 6, 9, 11 और 12 में छात्रवृत्ति दी जाती है। यह योजना जनजातीय परिवारों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो रही है।

MPTASS छात्रवृत्ति के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे समग्र पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में स्थानांतरित की जाती है। इससे छात्राओं को शिक्षा जारी रखने में आर्थिक सहयोग मिलता है।

इसी प्रकार, कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु प्रोत्साहन राशि योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने वाली एसटी छात्राओं को 11वीं में प्रवेश लेने पर प्रति वर्ष रू 3,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना और ड्रॉपआउट दर को कम करना है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। इससे महिलाओं को धुएँ से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलती है तथा उनका जीवन स्तर सुधरता है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में लाभकारी सिद्ध हुई है।

इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आदिवासी महिलाओं को समूह बनाकर बचत एवं ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सूक्ष्म ऋण के माध्यम से महिलाएँ छोटे व्यवसाय प्रारंभ कर सकती हैं। इससे उनकी आय बढ़ती है और सामाजिक सहभागिता भी मजबूत होती है।

इनके अलावा मनरेगा, पोषण अभियान, जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व लाभ योजना, कौशल विकास कार्यक्रम तथा जनजातीय उपयोजना जैसे अन्य कार्यक्रम भी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विकास में सहायक हैं।

समग्र रूप से देखा जाए तो ये सभी योजनाएँ अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इनका उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और जागरूकता बढ़ाकर ही इनके वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषण – प्रस्तुत अध्याय में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है इस सन्दर्भ में आयु, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, भूमि स्वामित्व, आय तथा आवासीय एवं स्वच्छता संबंधी सुविधाओं जैसे पहलुओं का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में 100 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त तथ्यों के आधार पर उनकी स्थिति का समग्र विश्लेषण किया गया है ।

आयु संरचना के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक 42 प्रतिशत महिलाएँ 31 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में आती हैं। यह आयु वर्ग आर्थिक एवं पारिवारिक दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय माना जाता है। 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत 29 है, जबकि 41 से 50 वर्ष की महिलाओं का प्रतिशत 24 पाया गया। 51 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की संख्या मात्र 5 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन में अधिकांश महिलाएँ कार्यशील आयु वर्ग की हैं, जो परिवार एवं आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

वैवाहिक स्थिति के अनुसार 94 प्रतिशत महिलाएँ विवाहित हैं। अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत केवल 2 है तथा 4 प्रतिशत महिलाएँ विधवा हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि अध्ययन क्षेत्र में विवाह का प्रचलन व्यापक है और अधिकांश महिलाएँ पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। विवाह के समय आयु के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 83 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में हुआ, जबकि 17 प्रतिशत का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हुआ था। इससे यह संकेत मिलता है कि पूर्व में बाल विवाह की प्रवृत्ति अधिक थी, किंतु वर्तमान में कानूनी प्रावधानों एवं जागरूकता के कारण इसमें कमी आई है।

धार्मिक स्थिति के संदर्भ में 92 प्रतिशत महिलाएँ हिन्दू धर्म से संबंधित हैं तथा 8 प्रतिशत ईसाई धर्म को मानती हैं। इससे क्षेत्र में धार्मिक विविधता की उपस्थिति स्पष्ट होती है। माताओं की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन दर्शाता है कि 58 प्रतिशत महिलाओं की माताएँ निरक्षर थीं, 32 प्रतिशत साक्षर थीं तथा अत्यंत कम प्रतिशत ने प्राथमिक या माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा प्राप्त माताओं का प्रतिशत शून्य पाया गया। इससे स्पष्ट है कि पूर्व पीढ़ी में शिक्षा का स्तर अत्यंत निम्न था, जिसका प्रभाव वर्तमान पीढ़ी पर भी पड़ा है।

व्यावसायिक पृष्ठभूमि के अनुसार 68 प्रतिशत महिलाएँ कृषि कार्य में सहयोग करती हैं। 34 प्रतिशत महिलाएँ मजदूरी से जुड़ी हैं, 18 प्रतिशत स्वयं का व्यवसाय करती हैं तथा 3 प्रतिशत नौकरी में संलग्न हैं। साथ ही 40 प्रतिशत महिलाएँ स्वयं को गृहिणी भी बताती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाएँ बहुआयामी भूमिकाएँ निभा रही हैं तथा घरेलू एवं आर्थिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं।

भूमि स्वामित्व की स्थिति दर्शाती है कि 88 प्रतिशत परिवारों के पास 2.5 एकड़ तक भूमि है, 5 प्रतिशत भूमिहीन हैं तथा बहुत कम प्रतिशत के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश परिवार सीमांत कृषक वर्ग में आते हैं। सिंचित भूमि की उपलब्धता केवल 40 प्रतिशत परिवारों में है, जबकि 60 प्रतिशत परिवार वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर हैं, जिससे आय में अनिश्चितता बनी रहती है।

वार्षिक आय के आधार पर 62 प्रतिशत परिवारों की आय 50,000 रुपये तक है। केवल 8 प्रतिशत परिवारों की आय 1,00,000 रुपये से अधिक है। यह स्थिति निम्न एवं निम्न-मध्यम आय वर्ग की प्रधानता को दर्शाती है। आवासीय स्थिति में 58 प्रतिशत परिवार पक्के मकानों में रहते हैं, जबकि 16 प्रतिशत अभी भी कच्चे मकानों में निवास करते हैं। शौचालय की सुविधा 100 प्रतिशत परिवारों में उपलब्ध है, परंतु 12 प्रतिशत परिवार

नियमित उपयोग नहीं करते, जो व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता को इंगित करता है।

राशन कार्ड के संदर्भ में 70 प्रतिशत परिवार बी.पी.एल. श्रेणी में तथा 22 प्रतिशत अंत्योदय श्रेणी में आते हैं। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर हैं।

समग्र रूप से अध्ययन यह दर्शाता है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ सक्रिय एवं परिश्रमी हैं, किंतु सीमित भूमि, कम आय, निम्न शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं संसाधनों की कमी उनके समग्र विकास में बाधक है। अत: शिक्षा, सिंचाई सुविधा, स्वरोजगार प्रोत्साहन तथा सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी स्थिति में और सुधार लाया जा सकता है।

अत: स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ अत्यंत सक्रिय, परिश्रमी एवं बहुआयामी भूमिकाएँ निभाने वाली हैं। वे कृषि कार्य, मजदूरी, घरेलू दायित्वों तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों का संतुलित निर्वहन करती हैं। इसके बावजूद सीमित भूमि स्वामित्व, वर्षा आधारित कृषि पर निर्भरता, निम्न आय स्तर, मातृ पीढ़ी की कमजोर शैक्षिक पृष्ठभूमि तथा संसाधनों की कमी उनके समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। विशेष रूप से सीमांत कृषक परिवारों में आय के सीमित स्रोत होने के कारण आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है, जिसका प्रभाव महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं निर्णय-क्षमता पर भी पड़ता है। निम्न शैक्षिक स्तर के कारण अनेक महिलाएँ शासकीय योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं एवं स्वरोजगार अवसरों का पूर्ण लाभ नहीं उठा पातीं। वित्तीय साक्षरता की कमी, तकनीकी जानकारी का अभाव तथा बाजार तक सीमित पहुँच भी उनकी आर्थिक प्रगति को प्रभावित करते हैं। यद्यपि आवास, शौचालय एवं खाद्य सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार दिखाई देता है, फिर भी आय सृजन एवं आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में पर्याप्त संभावनाएँ शेष हैं।

अत: आवश्यक है कि महिला शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए तथा वयस्क शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए। सिंचाई सुविधाओं का विकास, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण तथा उन्नत कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हो सकता है। साथ ही स्वयं सहायता समूहों , सूक्ष्म वित्त, लघु एवं कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्प तथा पशुपालन जैसी आयवर्धक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम, डिजिटल साक्षरता, तथा सरकारी योजनाओं की सरल पहुँच सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। पंचायत स्तर पर महिलाओं की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने से उनका आत्मविश्वास एवं सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। इस प्रकार यदि शिक्षा, आर्थिक अवसर, आधारभूत संरचना एवं सामाजिक जागरूकता को समन्वित रूप से बढ़ावा दिया जाए, तो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का समग्र विकास संभव है और वे अपने परिवार तथा समुदाय के सतत् विकास में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी।

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विकास में शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की भूमिका : साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या – अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण राज्य की विकास नीतियों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। प्रस्तुत अध्ययन में साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह विश्लेषण किया गया है कि शासकीय योजनाएँ एवं कार्यक्रम किस प्रकार इन महिलाओं के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि योजनाओं का प्रभाव केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने सामाजिक जागरूकता, आत्मविश्वास तथा निर्णय-निर्माण क्षमता में भी वृद्धि की है। सबसे पहले योजनाओं की जानकारी के स्तर का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में 98 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्हें महिलाओं हेतु संचालित शासकीय योजनाओं की जानकारी है। यह तथ्य दर्शाता है कि योजनाओं का प्रचार-प्रसार संतोषजनक स्तर पर हो रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायत, टेलीविजन तथा सोशल मीडिया जैसे विविध माध्यमों से जानकारी का प्रसार हो रहा है। विशेष रूप से आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण पाई गई, क्योंकि वे सीधे समुदाय से जुड़ी होती हैं और नियमित संपर्क के माध्यम से योजनाओं की जानकारी प्रदान करती हैं। स्वयं सहायता समूह भी केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित न रहकर सूचना एवं जागरूकता के प्रभावी मंच के रूप में उभरे हैं।

योजनाओं के लाभ प्राप्ति के संदर्भ में अध्ययन का परिणाम अत्यंत सकारात्मक रहा। शत-प्रतिशत उत्तरदात्री महिलाओं ने बताया कि उन्हें किसी न किसी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। यह स्थिति दर्शाती है कि योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर प्रभावी है। विभिन्न योजनाओं जैसे आवास, शौचालय, खाद्य सुरक्षा, मातृ-स्वास्थ्य, पोषण, लाडली बहना योजना, स्वयं सहायता समूह आधारित ऋण सुविधा आदि ने महिलाओं के जीवन स्तर में प्रत्यक्ष सुधार किया है। आर्थिक सहायता मिलने से घरेलू आय में वृद्धि हुई है तथा महिलाओं की पारिवारिक निर्णय-प्रक्रिया में सहभागिता भी बढ़ी है।

स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं, टीकाकरण तथा मातृत्व लाभ योजनाओं ने महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण ने महिलाओं की गरिमा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पक्के मकानों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे आवासीय स्थिति में सुधार हुआ है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने खाद्य सुरक्षा प्रदान कर आर्थिक बोझ को कम किया है।

महिलाओं से लाड़ली बहना योजना के संदर्भ में विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने में मील का पत्थर साबित हुई है इस योजना के माध्यम से महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1500 आर्थिक सहायता ने नियमित आर्थिक सहायता ने महिलाओं को न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है। समूह चर्चा के दौरान महिलाओं ने बताया कि इस राशि से वे घरेलू आवश्यकताओं, बच्चों की पढ़ाई तथा स्वास्थ्य व्यय में सहयोग कर पा रही हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है तथा पारिवारिक निर्णयों में उनकी भूमिका सशक्त हुई है। कई महिलाओं ने यह भी व्यक्त किया कि अब वे छोटी बचत करने में सक्षम हुई हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रभाव के संबंध में अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण सहायता मिलने से स्वास्थ्य जागरूकता में वृद्धि हुई है। समूह चर्चा में यह सामने आया कि जनजातीय महिलाओं के स्वस्थ्य की स्तिथि अत्यंत दयनीय थी अब महिलाएँ नियमित जांच, टीकाकरण एवं पोषण आहार के प्रति अधिक सजग हुई हैं। इससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार देखा गया है तथा प्रसव संबंधी जोखिमों में कमी

आई है। आंगनवाड़ी सेवाएँ एवं टीकाकरण कार्यक्रम के प्रभाव का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि बच्चों में कुपोषण की स्थिति में सुधार आया है। समूह चर्चा से यह तथ्य सामने आया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सक्रियता के कारण महिलाओं को समय-समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलती रहती है। धात्री महिलाओं ने बताया कि टीकाकरण एवं आयरन-फोलिक एसिड सेवन से उनके स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु संचालित आश्रम शालाएँ एवं छात्रावास व्यवस्था के प्रभाव के संदर्भ में अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि बालिकाओं की शिक्षा के प्रति समुदाय का दृष्टिकोण बदला है। समूह चर्चा में कई महिलाओं ने स्वीकार किया कि पूर्व में बालिका शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, किंतु अब योजनाओं के कारण बालिकाओं को विद्यालय भेजने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इससे बाल विवाह में कमी एवं शिक्षा निरंतरता में वृद्धि हुई है किन्तु शासकीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी भी नकारात्मक पक्ष सामने आया है। मनरेगा योजना के प्रभाव के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि महिलाएं पुरुष की अपेक्षा इस्योजना में अधिक कार्य कर रही हैं किन्तु बाजार मूल्य से मजदूरी दर की कमी एवं मजदूरी दर में वृद्धि महिलाओं द्वारा मुख्या समस्या बताई है, इस योजना से समूह चर्चा से ज्ञात हुआ कि मजदूरी सीधे बैंक खाते में प्राप्त होने से महिलाओं की वित्तीय भागीदारी एवं बैंकिंग जागरूकता बढ़ी है। इससे आर्थिक आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभाव के संबंध में स्पष्ट हुआ की इस योजना से इन महिलाओं को तथा आदिवासी समाज को पक्के मकान प्राप्त होने से महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सुरक्षा की भावना में वृद्धि हुई है। समूह चर्चा में महिलाओं ने बताया कि पूर्व में कच्चे मकानों के कारण वर्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं में कठिनाई होती थी, किंतु अब आवासीय सुविधा में सुधार से जीवन अधिक सुरक्षित एवं सम्मानजनक हुआ है। इससे पारिवारिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण के संदर्भ में महिला उत्तरदाताओं के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि शौचालय की उपलब्धता ने महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समूह चर्चा में महिलाओं ने बताया कि खुले में शौच से होने वाली असुविधा एवं असुरक्षा में कमी आई है। पूर्व में सुबह जल्दी उठ कर शोचालय जाना एक असुरक्षा थी यद्यपि कुछ स्थानों पर जल की कमी एवं शौचालय का सही नहीं होने के कारन नियमित उपयोग की समस्या देखी गई, फिर भी जागरूकता में स्पष्ट वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने जनजातीय समाज कि खाद्य सुरक्षा हेतु रियायती दर पर अनाज प्राप्त होने से परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। समूह चर्चा में यह सामने आया कि इससे आर्थिक दबाव कम हुआ है तथा निर्धन परिवारों को न्यूनतम पोषण उपलब्ध हो पा रहा है। विशेष रूप से बी.पी.एल. एवं अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को इससे अधिक लाभ मिला है।

स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका मिशन के संदर्भ में अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि इन समूहों ने महिलाओं में बचत की आदत, सामूहिक निर्णय क्षमता एवं आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ाया है। समूह चर्चा से ज्ञात हुआ कि लघु ऋण सुविधा के माध्यम से कई महिलाओं ने पशुपालन, लघु व्यवसाय एवं कृषि संबंधी कार्य प्रारंभ किए हैं। इससे आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित हुए हैं तथा आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है। इस योजना का सबसे अधिक लाभ साहूकार से कर्ज लेने से छुटकारा मिला है साथ ही बैठकों में सहभागिता से महिलाओं में स्वनिर्णय एवं आत्मनिर्भरता बढ़ी है तथा परिवार के निर्णय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है।

उज्ज्वला योजना के प्रभाव के संबंध में अध्ययन से ज्ञात हुआ कि गैस कनेक्शन प्राप्त होने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। समूह चर्चा में महिलाओं ने बताया कि धुएँ से होने वाली आँख एवं श्वसन संबंधी समस्याओं में कमी आई है तथा भोजन बनाने में समय की बचत हुई है किन्तु जनजातीय समाज में अत्यधिक आय नहीं होने के कारण रिफ्लिग की समस्या बनी हुई है।

जनधन योजना एवं बैंकिंग समावेशन के संदर्भ में अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि बैंक खाते खुलने से महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की सुविधा मिली है। समूह चर्चा में यह सामने आया कि इससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ी है तथा महिलाएँ स्वयं अपने खाते का संचालन करने लगी हैं, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है।

अत: अध्ययन एवं समूह चर्चा के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से निष्कर्षित होता है कि शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों ने अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के जीवन में बहुआयामी एवं संरचनात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन योजनाओं ने केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने तक सीमित न रहकर महिलाओं की सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य जागरूकता, शैक्षिक प्रगति, वित्तीय भागीदारी तथा आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ किया है। लाड़ली बहना योजना से आर्थिक सुरक्षा, मातृ वंदना एवं आंगनवाड़ी सेवाओं से स्वास्थ्य संरक्षण, आश्रम शालाओं से शैक्षिक प्रोत्साहन, मनरेगा से आय सृजन, आवास एवं स्वच्छता योजनाओं से जीवन-स्तर में सुधार तथा स्वयं सहायता समूहों एवं बैंकिंग समावेशन से वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है।

यद्यपि कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में मजदूरी दर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जल उपलब्धता एवं आर्थिक सीमाओं जैसी चुनौतियाँ परिलक्षित हुई हैं, तथापि समग्र दृष्टि से इन योजनाओं का प्रभाव सकारात्मक एवं परिवर्तनकारी रहा है। यह अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि यदि योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी एवं सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा जागरूकता एवं संरचनात्मक सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाए, तो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और अधिक स्थायी एवं व्यापक रूप से संभव हो सकेगा।

निष्कर्ष एवं सुझाव - अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें शासकीय योजनाएँ एवं कार्यक्रम महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। धार जिले के विशेष संदर्भ में किए गए अध्ययन से यह परिलक्षित हुआ कि यद्यपि अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ सीमित भूमि, निम्न आय, कम शैक्षिक पृष्ठभूमि तथा संसाधनों की कमी जैसी संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही हैं, फिर भी वे आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि योजनाओं की जानकारी का स्तर संतोषजनक है तथा अधिकांश महिलाओं को किसी न किसी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। इससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन प्रभावी रूप से हो रहा है। लाड़ली बहना योजना ने महिलाओं को नियमित आर्थिक सुरक्षा प्रदान की, जिससे उनके आत्मविश्वास एवं पारिवारिक निर्णय-निर्माण में सहभागिता बढ़ी। मातृ

वंदना योजना, आंगनवाड़ी सेवाओं एवं टीकाकरण कार्यक्रमों ने मातृ–शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाया। आश्रम शालाओं एवं छात्रवृत्ति योजनाओं ने बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया। मनरेगा, स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका कार्यक्रमों ने महिलाओं को आय के अवसर प्रदान कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया। आवास, शौचालय एवं खाद्य सुरक्षा योजनाओं ने जीवन–स्तर एवं सामाजिक गरिमा को सुदृढ़ किया। अध्ययन में कुछ चुनौतियाँ भी परिलक्षित हुई हैं जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, सिंचाई सुविधाओं की कमी, मनरेगा की मजदूरी दर संबंधी असंतोष, उज्ज्वला योजना में रिफिल की समस्या तथा कुछ योजनाओं के उपयोग में व्यवहारगत बाधाएँ। इससे यह स्पष्ट होता है कि योजनाओं की उपलब्धता के साथ–साथ उनके प्रभावी, पारदर्शी एवं सतत क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि शासकीय योजनाओं ने अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक एवं परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है। इन योजनाओं ने केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी, बल्कि सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा विस्तार एवं आत्मनिर्भरता की भावना को भी सुदृढ़ किया है। यदि योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, निगरानी एवं स्थानीय सहभागिता को और अधिक मजबूत किया जाए, तो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का सतत एवं समावेशी विकास अधिक व्यापक रूप से सुनिश्चित किया जा सकता है। अत: अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण में शासकीय योजनाएँ आधारभूत भूमिका निभा रही हैं और भविष्य में इनके सुदृढ़ एवं समन्वित क्रियान्वयन से सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया और अधिक तीव्र एवं स्थायी हो सकती है।

सुझाव :

1. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में महिला शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं सुरक्षित शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे बालिकाओं की निरंतरता बनी रहे और ड्रॉपआउट दर में कमी लाई जा सके।
2. आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों की आधारभूत संरचना, शिक्षण गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था तथा पोषण सुविधाओं में सुधार किया जाना आवश्यक है, ताकि जनजातीय बालिकाएँ प्रतिस्पर्धात्मक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें।
3. जनजातीय क्षेत्रों में वयस्क महिला साक्षरता एवं डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे महिलाएँ शासकीय योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं एवं डिजिटल प्लेटफार्मों का प्रभावी उपयोग कर सकें।
4. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षित कर्मी एवं नियमित स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली से सशक्त किया जाना चाहिए।
5. एनीमिया एवं कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु विशेष पोषण अभियान एवं नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों का संचालन जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।
6. मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी दर को स्थानीय बाजार दर के अनुरूप संशोधित करते हुए समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा सुदृढ़ हो सके।
7. स्वयं सहायता समूहों को केवल ऋण वितरण तक सीमित न रखकर उन्हें उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन से जोड़कर स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
8. महिला स्वयं सहायता समूहों को कौशल विकास, उत्पाद ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं डिजिटल विपणन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे उनके उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हो सके।
9. जनजातीय महिलाओं को पशुपालन, वनोपज प्रसंस्करण, हस्तशिल्प एवं कृषि आधारित लघु उद्योगों के लिए संस्थागत वित्तीय सहायता एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
10. वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में जल संरक्षण संरचनाओं, लघु सिंचाई परियोजनाओं एवं सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अनुदान के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे कृषि आय में स्थायित्व लाया जा सके।
11. उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस रिफिल लागत को वहनीय बनाने हेतु अतिरिक्त सब्सिडी या विशेष सहायता प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि महिलाएँ पारंपरिक ईंधन पर पुन: निर्भर न हों।
12. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित शौचालयों के नियमित उपयोग हेतु जल उपलब्धता, रखरखाव एवं व्यवहार परिवर्तन अभियानों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
13. ग्राम स्तर पर योजनाओं की जानकारी हेतु नियमित जागरूकता शिविर, महिला संवाद कार्यक्रम एवं पंचायत आधारित सूचना तंत्र को सक्रिय किया जाना चाहिए।
14. जनजातीय क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच बढ़ाने हेतु मोबाइल बैंकिंग सुविधा, बैंक मित्र एवं वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए।
15. महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन, बचत, निवेश एवं लघु उद्यम संचालन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में सक्षम बनाया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****